

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

परियोजना क्रियान्वयन इकाई, छिन्दवाड़ा (म0प्र0)

दिनांक 10.07.2025

विषय: सड़क दुर्घटना रोकने हेतु निर्माण-विधानसभा तारांकित प्रश्न क्र. 751, माननीय सदस्य श्री सुनील उईके द्वारा चाही गई जानकारी के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र के अनुसार तारांकित विधानसभा प्रश्न क्रमांक 751 माननीय सदस्य श्री सुनील उईके द्वारा जानकारी चाही गई है जो कि निम्नानुसार प्रस्तुत है:-

क्र.	तारांकित प्रश्न	उत्तर
1.	(क) सिवनी, छिंदवाड़ा से होकर बैतूल जाने वाली नेशनल हाईवे पर बसे हुए ग्रामों में सड़क परिवहन यातायात के दबाव के कारण बहुत सी वाहन दुर्घटनाएँ होती हैं । क्योंकि उक्त सड़क बनाते समय गांव को बायपास किया जाना चाहिए था । लेकिन ऐसा नहीं किया गया । इस कारण ग्रामवासियों को बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है ।	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइन, दिशानिर्देशों एवं तकनीकी मापदण्डों के अनुसार ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जाता है ।
2.	(ख) क्या छिंदवाड़ा, नागपुर नरसिंहपुर नेशनल हाई में ग्रामों के बाहर से बायपास बनाकर सड़क बनाई गई है ? यदि हाँ तो क्या इसी तर्ज पर छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल नेशनल हाईवे में बायपास बनवाने हेतु कार्यवाही करने की कृपा करेंगे एवं होने वाली सड़क दुर्घटनाओं से ग्रामवासियों को बचाने के लिए कोई निति या कोई योजना बनाने हेतु विचार करने की कृपा करेंगे ?	नहीं, इस कार्यालय के अंतर्गत आने वाले छिंदवाड़ा से नरसिंहपुर NH-547 पर अमरवाड़ा शहर एवं हरई शहर को छोड़कर, नेशनल हाईवे में आने वाले ग्रामों के बाहर से बायपास नहीं बनाया गया है । छिंदवाड़ा से सावनेर तक NH-547 पर नेशनल हाईवे पर आने वाले ग्रामों के बाहर से बायपास नहीं बनाया गया है । सड़क दुर्घटनाओं से ग्रामवासियों को बचाने हेतु चिन्हित ब्लैक स्पॉट पर तकनीकी मापदण्डों के अनुसार सुधार कार्य प्रस्तावित है ।


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय


परियोजना निदेशक,
भा.रा.रा.प्रा., प.क्रि.ई., छिंदवाड़ा